



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिज्ञियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 27 मार्च, 2015

चैत्र 6, 1937 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-4

संख्या 281/77-4-15-158 एन.-85
लखनऊ, 27 मार्च, 2015

अधिसूचना

प० आ०-257

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1976) की धारा 9 की उपधारा (2) एवं धारा 19 के अधीन शक्ति और इस विहित प्रमर्शद्वारा अन्य क्षमस्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र कान विनियमावली, 2010 को संशोधित करने की दृष्टि से एकद्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है :-

नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र कान (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2015

1-(1) यह विनियमावली नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र कान (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2015 की अधीन।

संकेत नाम एवं
प्रकार

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

विनियम 24.2
का संशोधन

2-नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र यमन विनियमावली, 2010 जिसे आगे उक्त विनियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 24.2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

<u>स्तम्भ-1</u>		<u>स्तम्भ-2</u>	
विनियम विनियम		एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम	
(एक)	24.2 सामूहिक आवास (क्यूरेटेड एवं सामूहिक प्रकार की) न्यूनतम मूखण्ड क्षेत्र-2000 वर्गमी०। तथापि, प्राधिकरण द्वारा कार्यों का उल्लेख करते हुए किसी परियोजना के लिए 2000.00 वर्गमी० से अधिक न्यूनतम क्षेत्रफल निर्धारित किया जा सकता है।	(एक)	24.2 सामूहिक आवास (फ्लैटेड एवं सामूहिक प्रकार की) न्यूनतम मूखण्ड क्षेत्र-2000 वर्गमी०। तथापि, प्राधिकरण द्वारा कार्यों का उल्लेख करते हुए किसी परियोजना के लिए 2000.00 वर्गमी० से अधिक न्यूनतम क्षेत्रफल निर्धारित किया जा सकता है।
(दो)	अधिकतम अनुमत्य- (क) गू-आच्छादन 40,000 वर्ग मी० तक 35 प्रतिशत 40000 वर्ग मी० से अधिक 40 प्रतिशत	(दो)	अधिकतम अनुमत्य- (क) गू-आच्छादन 40,000 वर्ग मी० तक 35 प्रतिशत 40000 वर्ग मी० से अधिक 40 प्रतिशत
	(ख) एक.ए.आर. 2.75		(ख) एक.ए.आर. 3.50 नोट-(1) 2.75 एक.ए. आर. से अधिक 3.50 तक एक.ए.आर. केवल विकारशील एवं अधिकरित सेक्टर में अनुमत्य होगा। (2) एक.ए.आर. में वृद्धि के सापेक्ष आवस्यीय इकाईयां महायोजना में निर्धारित 'लोवर-आल' फजल की अधिकतम सीमात्तरित अनुमत्य होगी।
(ग) ऊँचाई	कोई सीमा नहीं। 30 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले भवनों के लिए एयरपोर्ट एरारिटी (विमानपतन प्राधिकरण) से अनुमति लेनी होगी।	(ग) ऊँचाई	कोई सीमा नहीं। 30 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले भवनों के लिए एयरपोर्ट एरारिटी (विमानपतन प्राधिकरण) से अनुमति पत्र लेनी होगी।
(घ) जनसंख्या घनत्व (परिवार का आधार 4.5)	प्राधिकरण द्वारा रीक्टर गू-विनियम मानचित्र - किसी विशेष परियोजना के लिए यथा उल्लेखित।	(घ) जनसंख्या घनत्व (परिवार का आधार 4.5)	प्राधिकरण द्वारा रीक्टर गू-विनियम मानचित्र का किसी विशेष परियोजना के लिए यथा उल्लेखित।

स्तम्भ-1
विद्यमान विनियम

स्तम्भ-2
प्रस्तावित प्रतिस्थापित विनियम

टिप्पणी-अनुच्छेद-24.2 में संशोधन के संबंध में संसदीय न्याय विभाग द्वारा कार्यवाही की जाये आवश्यक होगी तथा इस कार्य में जनसंख्या में प्रस्तावित वृद्धि के साथ-साथ अनुसूचित जात/अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जात/अनुसूचित क्षेत्रों के प्रतिस्थापित एवं सामाजिक सुविधाओं का संग्रहण करते हुए इकाई/इकाई/इकाई के अनुसार प्रस्तावित एवं इकाई/इकाई के अनुसार प्रस्तावित सुविधाओं का प्रावधान होगा।

3-उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम स्तम्भ के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :

विनियम 24.4 का संशोधन

स्तम्भ-1 विद्यमान विनियम				स्तम्भ-2 प्रस्तावित प्रतिस्थापित विनियम			
24.4 (वार्षिकिक पत्र)				24.4 (वार्षिकिक पत्र)			
क्र. सं.	उपक्रम	शु. अनुसूचित	अधिकतम फ.से. अनुसूचित	क्र. सं.	उपक्रम	शु. अनुसूचित	अधिकतम फ.से. अनुसूचित
1	सूचना विभाग केन्द्र	40%	2.0	1	सूचना विभाग केन्द्र	40%	2.0
2	संस्कृत विभाग केन्द्र	40%	2.0	2	संस्कृत विभाग केन्द्र	40%	2.0
3	उच्च शिक्षा विभाग केन्द्र, पञ्जाब विश्वविद्यालय, लुधियाना, पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय, कोलकाता, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, लखनऊ में स्थापित पञ्जाब विश्वविद्यालय, लुधियाना, पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय, कोलकाता, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, लखनऊ	40%	4	3	उच्च शिक्षा विभाग केन्द्र, पञ्जाब विश्वविद्यालय, लुधियाना, पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय, कोलकाता, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, लखनऊ	40%	4.00
4	संस्कृत	40%	3.0	4	संस्कृत	40%	3.0
5	वेद	40%	1.50	5	वेद	40%	1.50
6	विभागाध्यक्ष/पदवी/सहायक/सहायिका	40%	आवश्यक नौकरों के अनुसार	6	विभागाध्यक्ष/पदवी/सहायक/सहायिका	40%	आवश्यक नौकरों के अनुसार

स्तम्भ-1 विद्यमान विनियम					स्तम्भ-2 एवंद्वारा प्रतिस्थापित विनियम				
24.4 (वाणिज्यिक भवन)					24.4 (वाणिज्यिक भवन)				
क्र. सं.	उपयोग	भू-अवकाश	अधिकतम फ.शे. अनुपात	अधिकतम ऊँचाई मीटर में	क्र. सं.	उपयोग	भू-अवकाश	अधिकतम फ.शे. अनुपात	अधिकतम ऊँचाई मीटर में
7.	बयार हाऊसिंग/ गोशाला	60%	1.50	सीमा नहीं	7.	बयार हाऊसिंग/ गोशाला	60%	1.50	सीमा नहीं
8.	मिडी सेंटर	45%	4.50	सीमा नहीं	8.	मिडी सेंटर	45%	4.50	सीमा नहीं

Note The Authority may allow maximum 30 percent of permissible FAR for Residential activities in the commercial plots of 4 hectare and above size, but the applicable on the total plot shall be that of the commercial land.

टिप्पणी :- (1) प्राधिकरण, 2 हेक्टेयर तथा इससे अधिक आकार के वाणिज्यिक भूखण्डों में, सुविधा अवरोधित को सम्मिलित करते हुए पक्षी क्षेत्रफल अनुपात के अधिकतम 30 प्रतिशत को आवासीय क्रियाकलापों के लिये अनुमति दे सकता है, किन्तु पक्षी क्षेत्रफल अनुपात, पूर्ण खण्ड पर वाणिज्यिक भूमि की दर लागू होगी।

(2) 2 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के वाणिज्यिक भूखण्डों में 30 प्रतिशत आवासीय उपयोग को बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव इस कर्तव्य के साथ विचारणीय है कि जनसंख्या में प्रस्तावित वृद्धि के सापेक्ष मानकों के अनुसार आवश्यक भौतिक अवस्थापना एवं सामाजिक सुविधाओं का आकलन करते हुए इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान तैयार कर राशन स्टोर से अनुभवेद-नोएरान्त बटननुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर का प्रविधान सम्पन्न किया जाय।

विनियम 24.5 का संशोधन

1-उपरोक्त विनियमालोक में, विनियम 24.5 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये क्रमांक 7 एवं 9 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया क्रमांक रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान क्रमांक					स्तम्भ-2 एवंद्वारा प्रतिस्थापित क्रमांक				
24.5 (संस्थापना)					24.5 (संस्थापना)				
क्र. सं.	क्रियाएं	अधिकतम अनुमत्य भू-अवकाश	अधिकतम अनुमत्य एफ.शे. अनुपात	अधिकतम ऊँचाई (मी. में)	क्र. सं.	क्रियाएं	अधिकतम अनुमत्य भू-अवकाश	अधिकतम अनुमत्य एफ.शे. अनुपात	अधिकतम ऊँचाई (मी. में)
7	संस्थापना और संरक्षणी, नियमित एवं अन्य कार्यालय	30%	2.00	सीमा नहीं	7.	संस्थापना और संरक्षणी, नियमित एवं अन्य कार्यालय	30%	2.50*	सीमा नहीं
9	सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित सेवाएं, बसस्टैंड पार्क।	30%	2.50	सीमा नहीं	9.	सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित सेवाएं, बसस्टैंड पार्क।	30%	2.50*	सीमा नहीं

*24 मी. से कम चौड़ी सड़क पर 2.0
24 मी. और इससे अधिक चौड़ी सड़क पर 2.5

5-उक्त विनियमावली में, विनियम 24.6 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये क्रम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया क्रम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

विनियम 24.6 का संशोधन

स्तम्भ-1 विद्यमान क्रम				स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित क्रम					
क्र. सं.	उपयोग	अधिकतम भू-अवच्छन्न	अधिकतम फ.प्र. अनुपात	अधिकतम ऊँचाई मीटर में	क्र. सं.	उपयोग	अधिकतम अनुमन्य भू-अवच्छन्न	अधिकतम अनुमन्य फ.प्र. अनुपात	अधिकतम ऊँचाई मीटर में
5	स्पोर्ट सिटी	30%	1.50	सीमा नहीं	5.	स्पोर्ट सिटी	30%	2.00	सीमा नहीं
					<p>नोट :- 2- स्पोर्ट सिटी योजना में, जहां यथा पूर्व कुल भूखण्ड के 70 प्रतिशत भाग को अभिवर्धित किया गया है, पर स्पोर्ट्स क्रियाओं का प्राविधान पूर्व की भांति ही रखा जाएगा। एफ.ए.आर. की बढ़ोतरी के फलस्वरूप स्पोर्ट्स सुविधाओं के क्षेत्रफल के महत्व में कोई कमी नहीं आएगी तथा भूखण्ड के क्षेत्रफल के 70 प्रतिशत भाग में स्पोर्ट्स सुविधाएँ होने के कारण योजना का स्वल्प प्रयोजन स्पोर्ट्स ही रहेगा। इसके अतिरिक्त मैट्रो ज़रीअर तथा एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 500 मी० की दूरी तक पड़ने वाले भूखण्डों पर अनुमन्य अतिरिक्त 0.5 एफ.ए.आर. का लाभ स्पोर्ट्स सिटी योजना को नहीं दिया जायेगा।</p>				

6-उक्त विनियमावली में, विनियम 24.8 में, उप अर्द्ध 16 के पश्चात् निम्नलिखित उप उपअर्द्ध रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

विनियम 24.8 का संशोधन

(17)-नौएझ प्राधिकरण की मिश्रित भू-उपयोग नीति के अनुसार आवासीय भूखण्डों पर गेस्ट हाउस/बैंक तथा औद्योगिक भूखण्डों पर ऑटो शोरूम/आर्ट गैलरी/प्युजियम क्रियार् निम्न बातों के साथ अनुमन्य होगी :-

(1) ऐसे भूखण्ड/भवन जो 24.0 मी० या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित हो तथा मुख्य सड़क के बीच सेक्टर रोड/सर्विस रोड/ग्रीन बेल्ट को छोड़कर अन्य कोई भवन न स्थित हो।

(2) मिश्रित उपयोग की सुविधा औद्योगिक भूखण्डों पर प्रचलित भवन विनियमावली में अनुमन्य एफ०ए०आर० के 25% भाग में मूल पर ऑटो शोरूम/आर्ट गैलरी/प्युजियम के रूप में अनुमन्य की जायेगी। महायोजना, 2031 की विद्यमान भवन विनियमावली और जोनिंग रेग्यूलेशन के अनुसार औद्योगिक निर्मित उत्पादन इकाई के प्रदर्शन/विक्रय के लिये कार्यालय, बैंक, शोरूम के रूप में अतिरिक्त समर्थित सुविधाएँ, जिम/हेल्थ क्लब, क्रिक एवं डे-केयर सेन्टर, इंटरनेट सेन्टर, डिस्पेन्सरी, टैक्सी/आटो/आटो रिक्शा स्टैंड अनुमन्य की जायेगी। नौएझ महायोजना-2031 जोनिंग रेग्यूलेशन के अनुसार आवासीय भूखण्डों पर समर्थित सुविधाओं के रूप में, गेस्ट हाउस के उपयोग में कार्यालय, कंप्यूटर, परसेन्स सर्विस शॉप, बैंक/ए.टी.एम., क्रिक, हेल्थ सेन्टर/डिस्पेन्सरी की अनुमति दी जायेगी।

(3) जवन विनियमावली के प्राविशनों के अनुसार पार्किंग की व्यवस्था परिसर के अन्दर ही करनी होगी।

(4) मिश्रित उपयोग की नीति के लिये मिश्रित उपयोग प्रकार अधिरोपित होगा, जो नोएडा प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित किया जायेगा।

(5) मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्र पर विजली तथा जल का प्रकार वाणिज्यिक उपयोग के आधार पर लागू होगा।

(6) मिश्रित भू-उपयोग क्षेत्र के लिये अभिशङ्कन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

विनियम 28.4 का संशोधन

7-उक्त विनियमावली में विनियमन 28.4 में, टिप्पणी में, खण्ड (4) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :- मैट्रो कोरीडोर के दोनों तरफ 500 मीटर की दूरी तक में सर्वा भेगी के भूखण्डों (आवासीय विकसित भूखण्डों को छोड़कर) में 0.5 क्रम योग्य अतिरिक्त एफ.ए.आर. अनुमत्त किया जायेगा। कोरीडोर की चाह्य सीमा पर स्थित किसी भूखण्ड की औसत गहराई का यदि न्यूनतम तीन मीटर बाग कोरीडोर के अन्तर्गत आ रहा हो, तो ऐसे सम्पूर्ण भूखण्ड को कोरीडोर के अन्तर्गत माना जायेगा।

आज्ञा से,
ओम प्रकाश पाठक,
निदेश सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 281/LXXVII-4-15-158N-85, dated March 27, 2015:

NO. 281/LXXVII-4-15-158N-85

Dated Lucknow, March 27, 2015

In exercise of the powers under sub-section (2) of section 9 and section 19 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act no. 6 of 1976) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) and all other powers enabling it in this behalf and with the previous approval of the State Government, New Okhla Industrial Development Authority hereby makes the following regulations with a view to amending the New Okhla Industrial Development Area Building Regulation, 2010:

THE NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA BUILDING
(THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2015

Short title and commencement

1. (1) These regulations shall be called the New Okhla Industrial Development Area Building (Third Amendment) Regulations, 2015.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of regulation 24.2

2. In the New Okhla Industrial Development Area Building Regulations, 2010 hereinafter referred to as the said regulations, for regulation 24.2 set out in Column 1 below the regulation as set out in Column 2 shall be substituted, namely :-

COLUMN-1

Existing regulation

24.2 GROUP HOUSING (Platted and cluster type)

(1) Minimum Plot Area-2000 square metre. However, the Authority may revise this limit by recording the reason.

COLUMN-2

Regulation to be hereby substituted

24.2 GROUP HOUSING (Platted and cluster type)

(1) Minimum Plot Area-2000 square metre. However, the Authority may revise this limit by recording the reason.

COLUMN-1 <i>Existing regulation</i>		COLUMN-2 <i>Regulation as hereby substituted</i>	
(II) Maximum permissible-		(II) Maximum permissible-	
(i) Ground coverage 35 percent up to 40000 sq. mtrs. and 40% above 40000 sq. mtrs.		(i) Ground coverage 35 percent up to 40000 sq. mtrs. and 40% above 40000 sq. mtrs.	
(ii) Floor Area Ratio 2.75		(ii) Floor Area Ratio 3.5	
		Note :- (1). Increase in FAR from 2.75 to 3.50 will be allowed only in the developing and undeveloped sectors.	
		(2) Proportionate increase in the dwelling units as a result of increase in FAR will be permitted within overall maximum density limit as per the Master Plan.	
(iii) Height	No limit, For buildings above 30 metres in height, clearance from Airport Authority shall have to be taken.	(iii) Height	No limit, For buildings above 30 metres in height, clearance from Airport Authority shall have to be taken.
(iv) Density	As mentioned in the sector Layout (Family size 4.5) Plan or decided by the Authority for a particular scheme.	(iv) Density (Family size 4.5)	As mentioned in the sector Layout Plan or decided by the Authority for a particular Scheme.

Note-Amendment in para 24.2 master plan would be required to follow the rules and standards in relation to the proposed increase in the population in order to assess the necessary physical infrastructure and social facilities designed to enable the level of infrastructure development plan Accordingly, provision of infrastructure will be required to ensure.

3. In the said regulations, for regulation 24.4 set out in Column 1 below the regulation as set out in Column 2 shall be substituted, namely :-

Amendment of regulation 24.4

COLUMN-1 <i>Existing regulation</i>					COLUMN-2 <i>Regulation as hereby substituted</i>				
24.4 COMMERCIAL BUILDINGS					24.4 COMMERCIAL BUILDINGS				
S. n.	Use	Ground Coverage (%)	Maximum FAR (Mtr.)	Maximum Height (Mtr.)	S. n.	Use	Ground Coverage (%)	Maximum FAR (Mtr.)	Maximum Height (Mtr.)
1	Convenient Shopping Centre	40%	2.0	24.0	1	Convenient Shopping Centre	40%	2.0	24.0
2	Sector Shopping	40%	2.00	24.00	2	Sector Shopping	40%	2.00	24.00
3	Sub District Centre, Shopping/ Commercial Use along MP roads and other Master Plan level shopping/ commercial centres	40%	4.00	No limit	3	Sub District Centre, Shopping/ Commercial Use along MP roads and other Master Plan level shopping/ commercial centres	40%	4.00	No limit

COLUMN-1 Existing regulation					COLUMN-2 Regulation as hereby substituted				
24.4 COMMERCIAL BUILDINGS					24.4 COMMERCIAL BUILDINGS				
S. n.	Use	Ground Coverage (%)	Maximum FAR (Mtr.)	Maximum Height (Mtr.)	S. n.	Use	Ground Coverage (%)	Maximum FAR (Mtr.)	Maximum Height (Mtr.)
4	Hotel	40%	3.00	No limit	4	Hotel	40%	3.00	No limit
5	Banks	40%	1.50	No limit	5	Banks	40%	1.50	No limit
6	Cinema Multiplex Complex	40%	By government policy	No limit	6	Cinema Multiplex Complex	40%	By government policy	No limit
7	Ware housing Godowns	60%	1.50	No limit	7	Ware housing Godowns	60%	1.50	No limit
8	City Centre	45%	4.50	No limit	8	City Centre	45%	4.50	No limit
Note:-The Authority may allow maximum 30 percent of permissible FAR for Residential activities in the commercial plots of 4 hectare and above size, but the applicable on the total plot shall be that of the commercial land.					Note :- (1) The Authority may allow maximum 40 percent of permissible FAR for Residential activities including service apartments in the commercial plots of 2 hectare and above size, but the FAR applicable on the total plot shall be that of the commercial land. (2) over 2 hectares in area commercial plots for residential use increased 30 percent to 40 percent is considered with this condition relative to the proposed increase in the population according to the standards required physical infrastructure and social facilities assessment Infrastructure Plan competent level should be ensured by the provision of infrastructure accordingly.				

Amendment of regulation 24.5

4. In the said regulations, in regulation 24.5 for serials 7 and 9 set out in Column 1 below the serials as set out in Column 2 shall be substituted, namely :-

COLUMN-1 Existing serials					COLUMN-2 serials as hereby substituted				
24.5 INSTITUTIONAL					24.5 INSTITUTIONAL				
S.N.	Use	Maximum ground coverage	Maximum FAR	Maximum height in metres	S. N.	Use	Maximum ground coverage	Maximum FAR	Maximum height in metres
7	Government Semi-Government Corporate Offices & other offices	30%	2.00	No limit	7	Government Semi-Government Corporate Offices & other offices	30%	2.50*	No limit
9	Information Technology and Information Technology Enabled Services, Biotech Park	30%	2.00	No Limit	9	Information Technology and Information Technology Enabled Services, Biotech Park	30%	2.00	No Limit
					* Note : On roads less than 24 Mtr. wide-2.0 On roads 24 Mtr. and above wide-2.5				

5. In the said regulation, in regulation 24.6 for serial 5 set out in Column I below the serial as set out in Column 2 shall be substituted, namely :-

Amendment of regulation 24.6

COLUMN-1 Existing serial					COLUMN-2 Serial as hereby substituted				
S.n.	Use	Maximum permissible ground coverage	Maximum permissible F.A.R.	Maximum height in metres	S.n.	Use	Maximum permissible ground coverage	Maximum permissible F.A.R.	Maximum height in metres
5	Sport City	30%	1.5	No limit	5	Sport City	30%	2.00	No limit
					<p>Note-In Sport City plan it has been exposed 70 percent of the total plot as earlier, to be placed on the provision of sports activities. F.A.R. as a result of the increase of Sports Facilities will not detract from the importance of the area and 70 percent of the plots in the area of sports facilities, the nature of the scheme will remain primarily sports. Additionally Metro Corridor and 500 m on either side of the expressway plots falling within a range of 0.5 on the permissible additional F.A.R. Sports City will not be given the benefit of the scheme.</p>				

6. In the said regulations, in regulation 24.8 after sub-regulation (16) the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

Amendment in regulation 24.8

(17) As per mixed land use policy Guest House and Bank on residential plots and Auto showroom/Art Gallery/Museum on Industrial plots, activity shall be permitted by Noida Authority with following conditions :-

(1) Plots/buildings should be situated on 24.0 Mtr. wide and above road and there shall not be any building between main road except sector road/service road/green belt.

(2) Mixed use facilities shall be available as Auto showroom/Art Gallery/Museum activities on 25% of permissible FAR on Ground floor of industrial plots. As per prevailing building regulation and zoning regulation of Master Plan-2031 additional support facilities as Office, Bank, Showroom for display/sale of industrial products manufactured in the unit, Gym/Health Club, Creche and day care centre, Internet center, Dispensary, Taxi/Auto/Auto rickshaw stand shall be permitted. Guest house/bank activity shall be permitted on all floors upto permissible FAR limit on residential plots. As support facilities Office, Canteen, Personal Service Shop, Bank/ATM, Creche, Health Centre/Dispensary in the guest house use shall be permitted on residential plot as per zoning regulation of Noida Master Plan-2031.

(3) Parking provision shall be provided within the premises as per provision of building regulations.

(4) Mixed use charges shall be imposed as decided by Authority for mixed use policy.

(5) Electric and water charges shall be applicable on mixed land use area on the basis of commercial use.

(v) No objection certificate from Fire Department shall be obtained for mixed land use area.

Amendment to regulation 28.4

7. In the said regulations, in regulation 28.4 in the note after clause (iv) the following clause shall be substituted, namely -

(v) 0.5 Purchasable FAR shall be allowed on all category of plots (excluding residential plotted development) situated upto 500.00 metres, on both sides of the Metro corridor. Those plots situated on outer edge of corridor, whose average depth of plot should be overlap minimum 3.0 mtr. in the corridor, will be admissible with the corridor.

By order,

OM PRAKASH PATHAK,

Vishesh Sachiv.

पुनर्विचारार्थी-पत्रिका 1144 राजपत्र (वि०)-२०१५-(३३५) का अधिनियम (संशुद्ध/दे०/अधिनियम)।
पुनर्विचारार्थी-संकीर्ण 9 का अधिनियम-2015-(३३६) का अधिनियम (संशुद्ध/दे०/अधिनियम)।